प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2 कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3 निदेशक, आईआईटी कानपुर।
4 निदेशक, आईआईएम लखनऊ।
5 निदेशक, एनआईटी इलाहाबाद।
6 निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।
7 निदेशक, आई.टी. बी.एच.यू वाराणसी।
8 समस्त राजकीय इन्जीनियरिंग संस्थान/महाविद्यालय, उ0प्र0।
9 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 09 अगस्त,2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.5.1. **"इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन"** में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा नये इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिन्हें विज्ञान एवँ प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यमान इन्क्यूबेटर्स के साथ-साथ, शासकीय संस्थानों/संगठनों में संचालित किया जायेगा। उक्त नीति के प्रस्तर 3.3.5.2 में इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्राविधान निहित है।

3- इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के अन्तर्गत एक स्टार्ट-अप कार्पस निधि (Start up Corpus Fund½) का प्रारम्भ प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप परितंत्र (ecosystem) को सहायता देने के लिए इस कोष की प्रारम्भिक पूंजी रू0 100 करोड़ होगी। स्टार्ट-अप परियोजना को रू0 15,000/- प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा तथा स्टार्ट-अप द्वारा किसी ज्ञात एवं पँजीकृत एन्जेल इनवेस्टर/वेन्चर फण्ड/प्रतिष्ठित इन्क्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्तपोषण सुनिश्चित कर लेने के बाद, स्टार्ट-अप को उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए विपणन/व्यवसायीकरण

सहायता के रूप में, वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू0 10 लाख जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जायेगी। इसके सम्बन्ध में पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

4- ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016'' में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत स्टार्ट अप/इन्क्यूबेटर्स को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

4.1 मेजबान संस्थानों को रू0 25.00 लाख की अधिकतम सीमा सहित, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जायेगा।

4.2 यही सीमा मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु भी, वर्तमान क्षमता के 2 वर्ष तक उपयोग के प्रतिबन्ध सहित, अनुमन्य होगी।

4.3 मेजबान संस्थानों द्वारा इन्क्यूबेटर्स स्थापित किये जाने हेतु रू0 25.00 लाख से अधिक धनराशि की मांग पर केस-टू-केस बेसिस पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

4.4 इन्क्यूबेटर्स को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू0 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

4.5 चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा मानदेय के आधार पर रू0 2.00 लाख वार्षिक तक भुगतान पर कम से कम दो एवँ अधिकतम 5 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors), शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/ वित्त/तकनीकी विकास/ व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र से नियुक्त किये जा सकेंगे। प्रति मेन्टर रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष की सहायता शासन द्वारा 5 वर्ष तक प्रदान की जायेगी।

5- **<u>अनुदान हेतु संस्थानों की पात्रता तथा उनसे अपेक्षायें।</u>**

- प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्ट-अप परितंत्र को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए तकनीकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थानों (आईआईटी/एनआईटी/ आई.आई.एम./राजकीय इन्जीनियरिंग कालेजों/ अन्य शासकीय संस्थानों) जैसे शासकीय मेजबान (Host) संस्थानों में नये इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के तकनीकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थानों में नये इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।
- चयनित इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स को निम्नवत् सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगेः-
  - √ कार्यालय स्थान तथा सहभागी प्रशासनिक सेवायें (office space and shared administrative services)
  - √ प्रशिक्षण अथवा उच्च गति इन्टरनेट सम्पर्क जैसी सेवायें (services such as training or High-Speed Internet access)
  - √ नेटवर्किंग कार्यकलाप तथा विपणन सहायता (Networking activities and Marketing assistance)
  - √ उच्च शैक्षणिक संसाधनों से सम्पर्क (Links to higher education resources)

6- **<u>प्रोत्साहन अवधि।</u>**

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इन्क्यूबेटर्स का परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

7- **<u>आच्छादन।</u>**

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

8- **<u>परिभाषायें।</u>**

8.1 ''वर्ष'' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8.2 ''कार्यदायी संस्था'' अथवा ''नोडल एजेन्सी'' का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोशन लि0 को कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

8.4 ''स्टार्ट-अप (Start-Up)'': निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगाः-

(क) अपने निगमन/पँजीयन की तिथि से 5 वर्ष तक।

(ख) संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पँजीकृत हो।

(ग) वह प्रौद्योगिकी (technology) अथवा बौद्धिक सम्पदा (intellectual property) द्वारा चालित नये उत्पादों, प्रक्रियाओं (processes) अथवा सेवाओं के व्यवसायीकरण (commercialization) के लिए किसी नवाचार (innovation), विकास, फैलाव (deployment) हेतु कार्यरत हो।

(घ) प्रतिबन्ध यह होगा कि पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्निमाण के फलस्वरूप बनी किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) नहीं माना जायेगा।

8.5 ''संस्था (entity)'' से आशय (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथापारिभाषित) किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, अथवा (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत) पंजीकृत एक साझेदारी फर्म अथवा (लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत) लिमिटेड लाइबिलिटी साझेदारी फर्म से है।

9- **<u>इन्क्यूबेटर्स के चयन एवं पूंजीगत अनुदान देने की प्रक्रिया</u>**

9.1 संस्थान द्वारा (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

9.2 संस्थान द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा संस्थान से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे

गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

9.3 कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा, प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

9.4 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। मेजबान संस्थान को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवँ शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

9.5 मेजबान संस्था को दी जाने वाली अनुदान धनराशि दो समान किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम किश्त के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का भुगतान संस्थान को, उसके द्वारा किए जाने वाले समानुपातिक व्यय तथा शासन द्वारा दी गई प्रथम किश्त की 70 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

9.6 मेजबान संस्था को स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

10- **<u>इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति की प्रक्रिया।</u>**

10.1 परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) अपने आवेदन-पत्र, आवश्यक दस्तावेजों सहित, वार्षिक आधार पर कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा एवं परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

10.2 आवेदन-पत्र के साथ, संस्थान के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक-लेखे से हानि-लाभ लेखे की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

10.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त परिचालन व्ययों से हुई हानि की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता अवमुक्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

10.4 किसी वित्तीय वर्ष में परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी।

11- **<u>परामर्शदाता/उपदेशक को मानदेय धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया।</u>**

11.1 संस्थान द्वारा परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) का पैनल तैयार किया जायेगा। इसे कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत कर परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) की नियुक्ति करने के पूर्व पैनल पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, तथा यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा कि उसे

परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) के रूप में किस विशिष्ट क्षेत्र (शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/वित्त/ तकनीकी विकास/व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र) के विशेषज्ञ की सेवायें वांछनीय हैं।

11.2 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) को मानदेय धनराशि हेतु (निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'अ' पर) आवेदन-पत्र, एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा एवँ अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

11.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को मानदेय धनराशि वास्तविक आधार पर, रू0 2.00 लाख वार्षिक तक भुगतान पर कम से कम दो एवँ अधिकतम 5 परामर्शदाता/उपदेशक (mentors), शैक्षणिक/विक्रय/विपणन/वित्त/तकनीकी विकास/व्यवसाय नियोजन/निवेश क्षेत्र से नियुक्त किये जायेंगे। प्रति मेन्टर रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष की सहायता शासन द्वारा 5 वर्ष तक प्रदान की जायेगी। किसी वर्ष में संस्थान को प्रदत्त मानदेय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अगले वर्ष हेतु देय मानदेय धनराशि अवमुक्त की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध के समय यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि नियुक्त परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) किस स्टार्ट-अप इकाई को परामर्श प्रदान कर रहे हैं तथा स्टार्ट-अप किस चरण (stage) में है।

12- **<u>पात्र संस्थान के दायित्व।</u>**

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र संस्थान द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी)/पी.आई.यू./आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

13- **<u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार।</u>**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

14- **<u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड।</u>**

संस्थान द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्थान द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सँख्या-22/2016/895(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
9- निदेशक, उद्योग कानपुर, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
13- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

mRrj in'k lpuk ik|kfxdh ,o LVkV&vi uhfr&2016 d vUrxr ikRlkgu d fy, vkoj.k&i=

¼lLFkku d yVj iM ij½

**&&&

etcku lLFkkuk rFkk bUD;cVl ¼uohu@fo|eku½ dk fooj.k

Hkkx&v % eyHkr lpuk;

etcku lLFkku dk fooj.k

etcku lLFkku ¼Host Institution½ dk uke %

etcku lLFkku dk irk %

fiu dkM

LFkkiuk dk o"k %

njHkk"k u% ocsbV% QDl%

lLFkku ie[k dk fooj.k

uke % inuke

lEid gr u % b&ey

bUD;cVj dk fooj.k

fo|eku bUD;cVj (Existing Incubator)	uohu@iLrkfor bUD;cVj (New/Proposed Incubator)
bUD;cVj dh lf{kIr :ij[kk%	**bUD;cVj dh lf{kIr :ij[kk%**
LFkkiuk dk o"k	**bUD;cVj gr LFkkiuk dk iLrkfor o"k**
bUD;cVht dk vueU; dh xb bUD;c'ku vof/k	**bUD;cVht dk vueU;rk gr iLrkfor bUD;c'ku vof/k**
fo|eku bUD;cVj d fo'k"k tkj oky {k=	**iLrkfor bUD;cVj d fo'k"k tkj oky {k=**
• ekckby ,o lpuk ik|kfxdh ☐	• ekckby ,o lpuk ik|kfxdh ☐
• bUVjuV l lEcfU/kr] b&dkel ☐	• bUVjuV l lEcfU/kr] b&dkel ☐
• byDVkfuDl fMtkbu@ oh,y,lvkb fMtkbu ☐	• byDVkfuDl fMtkbu@ oh,y,lvkb fMtkbu ☐
• l0ik0@byDVkfuDl {k= e dkb ekfyd fopkj@ik|kfxdh ☐	• l0ik0@byDVkfuDl {k= e dkb ekfyd fopkj@ ik|kfxdh ☐
• vU;] di;k Li"V dj ☐	• vU;] di;k Li"V dj ☐
fo|eku bUD;cVj d fy, vU; lxBuk@ lLFkkuk d lkFk fd; x; lg;kx@ lk>nkjh dk fooj.k	**bUD;cVj d fy, vU; lxBuk@ lLFkkuk d lkFk iLrkfor lg;kx@ lk>nkjh dk fooj.k**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Hkkx&c % bUD;cVh t dk inRr@iLrkfor vkbVh bUQkLVDpj lok;

inRr vkbVh bUQkLVDpj lok;			
uke	fooj.k ¼l[;k@ LFkku½	dy /kujkf'k ¼#½	ekxh xb ithxr vunku dh /kujkf'k
Server			
Router			
UPS			
Networking/ Cabling			
Switches			
Racks			
Firewall			
WiFi Access Points			
Others, please specify			
ithxr vunku dh dy /kujkf'k			

iLrkfor vkbVh bUQkLVDpj lok;			
uke	fooj.k ¼l[;k@ LFkku½	dy /kujkf'k ¼#½	ekxh xb ithxr vunku dh /kujkf'k
Server			
Router			
UPS			
Networking/ Cabling			
Switches			
Racks			
Firewall			
WiFi Access Points			
Others, please specify			
ithxr vunku dh dy /kujkf'k			

ithxr vunku

etcku lLFkku }kjk {kerk foLrkj gr % #----------
okfNr dy /kujkf'k
etcku lLFkku }kjk iLrkfor bUD;cVj gr % #----------
okfNr dy /kujkf'k

bUD;cVj ¼uohu@iLrkfor½ d vf/kdr ifrfuf/k dk fooj.k

vf/kdr ifrfuf/k dk uke %
inuke %
ekckby u0 % b&ey%

bUD;cVh t ¼;fn gk rk½ dk fooj.k

uke %
bUD;c'ku dh vof/k %
iord¼k½ dk uke ,o lEid gr u0 %
dEiuh dk fooj.k %
mRikn@lok; %
oclkbV %

fVli.kh% bUD;cVh t dh l[;k vf/kd gku ij vfrfjDr i"B lyXu dj

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Hkkx&I % ifjpkyu 0;;k dh ifrifr I lEcfU/kr fooj.k

fooj.k	iFke o"k e nkok dh xb /kujkf'k	f}rh; o"k e nkok dh xb /kujkf'k	rrh; o"k e nkok dh xb /kujkf'k	prFk o"k e nkok dh xb /kujkf'k	ipe o"k e nkok dh xb /kujkf'k

etcku lLFkku dk ifjpkyu 0;;k dh gkfu dh ifrifr gr okfNr dy /kujkf'k %

----

fiNy 3 o"kk e vftr vk;@jktLo%

¼di;k viu lLFkku d ykHk&gkfu y[k dh] pkVM ,dkm.V.V }kjk lR;kfir] ifr iLrr dj½

Hkkx&n % ijke'knkrk@ min'kd ¼mentors½ dk ekun;

de l	ijke'knkrk@ min'kd ¼mentor½ dk uke	ijke'knkrk@ min'kd ¼mentor½ dk inuke	ijke'knkrk@ min'kd ¼mentor½ l lEid gr fooj.k ¼ekckby@b&ey irk½
iLrkfor ijke'knkrk@min'kd dk foLrr o;fDrd fooj.k ¼CV/Resume½ lyXu djA			

ijke'knkrk@ min'kd ¼mentors½ dk dy ekun; dh /kujkf'k% # ----------

frfFk% lLFkku d ie[k@i/kkukpk; }kjk ukfer bUD;cVj d iHkkjh dk gLrk{kj ,o egj

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।